

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./115/3366

दिनांक 04-03-2020


कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	विभाग/कार्यालय का नाम	प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है
1	2	3	4
1.	नादान सिंह	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मकराना, नागौर	आई.ए.एस., एम.ए. पूर्वाद्ध, अन्वेषक, नेट 2020
2.	राम पाल	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, लोहावट, जोधपुर	पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019
3.	रामावतार	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, राजगढ़, चूरु	एम.ए. राजनीति विज्ञान श्रेणी सुधार परीक्षा 2019-20, सीटेट (प्रथम एवं द्वितीय स्तर) परीक्षा 2020
4.	अक्षय शर्मा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, कैंकडी, अजमेर	एम.ए. पूर्वाद्ध अर्थशास्त्र, ए.सी.एफ. एण्ड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड-1 2018
5.	वीणा छंगाणी	उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीकानेर	एम.ए. फाईनल राजनीति विज्ञान 2020
6.	अंकित पुरोहित	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, लूणकरणसर, बीकानेर	एम.ए. फाईनल राजनीति विज्ञान 2020
7.	सुनील कुमार	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सुजानगढ़, चूरु	एम.ए. फाईनल अंग्रेजी
8.	ब्रिजेश कुमार माली	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, लालसोट, दौसा	एम.ए. पूर्वाद्ध राजनीति विज्ञान
9.	सीमा चाहर	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, फतेहपुर, सीकर	एम.ए. फाईनल इतिहास 2019-20, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 परीक्षा
10.	आकाश कुमार भास्वी	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, डूंगला, चित्तौड़गढ़	सीटेट परीक्षा 2020, पटवारी भर्ती परीक्षा 2019
11.	अनिल कुमार	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, भादरा, हनुमानगढ़	कृषि अनुसंधान अधिकारी-कृषि रसायन, पटवारी भर्ती परीक्षा 2019
12.	बलवीर सिंह	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नागौर	एम.ए. पूर्वाद्ध राजनीति विज्ञान
13.	नरेश चौधरी	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, श्रीकोलायत, बीकानेर	कृषि अन्वेषक परीक्षा


नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
8. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

  
(कुलदीप भटनागर)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ 1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग.....
3. संबंधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली

  
(सुभाष चन्द शर्मा)  
सहायक निदेशक (प्रशासन)